फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

लिखमाराम वगैरा बनाम रिड़मलराम वगैरा

मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 151/18 / 17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.05.18	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा बायतु भीमजी, बणिया धोरा, गेहूंवाला, धारणा धोरा पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 17.05.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा बायतु भीमजी पटवार मण्डल बायतु भीमजी तहसील बायतु के खसरा नम्बर 115, 132, 134, 595, 597 रकबा क्रमशः 41.07, 38.09, 02.05, 01.06, 06.02 बीघा, मौजा बणिया धोरा के खसरा नम्बर 137, 176 रकबा 34.18, 21.04 बीघा, मौजा गेहूंवाला के खसरा नम्बर 179 रकबा 19.16 बीघा, मौजा धारणा धोरा के खसरा नम्बर 104, 106, 608, 609, 613, 614 रकबा क्रमशः 39.13, 02.11, 01.04, 172.04, 83.05, 72.09 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें। मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 17.05.2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

17/5/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 5/7/18 को
पेश हो।

5/7/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 30/10/18 को
पेश हो।

30/10/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 5/3/19 को
पेश हो।

5/3/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 14/5/19 को
पेश हो।

14/5/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 18/6/19 को
पेश हो।

18/6/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इत्तवा होकर दिनांक 13/8/19 को
पेश हो।

हुक्म

13/8/19

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वाहिद उप०/ प्रार्थी वाहिद द्वारा विपक्षीगण के नोटिस उपे: पेश कर रजिस्टर्ड भेजने हेतु निवेदन किया। अतः विपक्षीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड भेजे जाकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 25/9/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार प्रभावी रहेगा। (हस्ताक्षर)	
25/9/19	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकुलाय सक्षकारान [illegible] पीठासीन अधि कारी [illegible] हैं। मिसल इल्तवा होकर [illegible] 26/2/2020 को पेश हो।	
26/2/2020	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकुलाय सक्षकारान [illegible] पीठासीन अधि कारी [illegible] हैं। मिसल इल्तवा होकर [illegible] 4-3-2020 को पेश हो।	
4/3/2020	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकुलाय सक्षकारान [illegible] पीठासीन अधि कारी [illegible] हैं। मिसल इल्तवा होकर [illegible] 24/6/2020 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/6/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड 2019 चलते कोर्ट नहीं लगा। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 26/8/2020 को पेश हो।
26/8/2020	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधि कारी दिगर का[illegible] व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 9/9/2020 को पेश हों।
9/9/2020	पत्रावली [illegible] पक्षकारान [illegible] अधि कारी दिगर का[illegible] है। मिसल इल्तवा होकर दि[illegible] 19/11/2020 का पेश हों।
19/11/2020	पत्रावली [illegible] पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान [illegible]। पीठासीन अधि कारी दिगर कार्य में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 4-1-2021 को पेश हों।
04/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-3 की फौतगी सूचना मय कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने बाबत मय संशोधित शिजरा पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र फौतगी सूचना मय कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने बाबत को स्वीकार किया जाकर संशोधित शिजरा रेकर्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या-3/1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विपक्षी

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या-1,2 व 4 से 6 के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षी संख्या-1,2 व 4 से 6 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या-3/1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विपक्षी संख्या-3/1 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से विपक्षी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध इस्तदुआ चाही गई है जबकि विपक्षी संख्या-3 सहखातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया था तथा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। बिना किसी प्रकार की इस्तदुआ चाहते हुए भी प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या-3 के विरुद्ध दिनांक-3/05/18 को एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की प्राप्त की गई थी जिस कारण विपक्षी संख्या-3/1 के पिता विपक्षी संख्या-3 का देहान्त होने के कारण उक्त खसरों पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा होने से फौती का नामान्तकरण भरा जाना सम्भव नहीं है। इसलिए विपक्षी संख्या-3 के विरुद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03/05/18 से विपक्षी संख्या-3 के हित की बहाल किया जावे। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा No objection किया गया। अत: दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की बहस सुनने व पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03/05/18 से विपक्षी संख्या-3 के हिस्से को बहाल किया जाता है। शेष स्थगन [illegible] बाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु